बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक-13.03.2026

संचिका संख्या-03/आ01-92/2023 I/379279/ क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर के पत्रांक-629 दिनांक-23.06.23 द्वारा श्री शिव कुमार शर्मा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, जमुई, सम्प्रति-सेवानिवृत के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुये विभागीय संकल्प संख्या-92363 दिनांक 01.12.2023 से अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय आदेश-116095 दिनांक 29.02.2024 द्वारा श्री शर्मा के दिनांक 31.01.2024 को वार्द्धक्य सेवानिवृत हो जाने के आधार पर इनके विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(बी) में सम्परिवर्तित किया गया।

2. श्री शिव कुमार शर्मा के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में अंतर्विष्ट आरोप निम्नवत हैं :-

1) दिनांक 17.04.2023 को दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" में प्रकाशित खबर नियोजन न योगदान, कर दिया गया वेतन भुगतान पर कोई कार्रवाई नहीं करना।
2) क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक-227, दिनांक 11.03.2023 एवं स्मार पत्रांक-314, दिनांक 31.03.2023 का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना।
3) वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर संज्ञान नहीं लिया जाना।
4) विभागीय नियमों के विपरीत स्वैच्छिक तरीके से माह जून के इतर सहायक शिक्षकों का स्थानान्तरण करना।
5) जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना शिक्षा विभाग, जमुई के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत पत्रांक-197, दिनांक 15.05.2023 द्वारा भ्रामक प्रतिवेदन उच्चाधिकारी को प्रतिवेदित करना।
6) बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 की कंडिका 3.1 (i) (ii) (iii) का उल्लंघन करना।

3. विभागीय संकल्प संख्या-92363 दिनांक 01.12.2023 से संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसमें आरोप संख्या-1 के संबंध में यह मंतव्य दिया गया है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा शिक्षकवार वेतन भुगतान के संबंध में साक्ष्य सहित स्थिति स्पष्ट किया गया है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप प्रमाणित नहीं होता है। आरोप संख्या-2 के संबंध में यह मंतव्य है कि आरोपी पदाधिकारी के कथन एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य के समीक्षोपरान्त स्पष्ट हो रहा है कि अखबार में शिक्षकों का नाम स्पष्ट नहीं रहने के कारण उनके विरूद्ध कार्रवाई में कठिनाई हुई। आरोप प्रमाणित नहीं होता है। आरोप संख्या-3 का मंतव्य यह है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप तत्काल प्रमाणित नहीं होता है, हालांकि इस मामले में आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है। पुलिस अनुसंधान प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त कर निर्णय लिया जा सकता है। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप संख्या-4 के संबंध में यह प्रतिवेदन दिया गया है जून माह से इतर माह में स्थानांतरण/ पदस्थापन पर एक स्तर उपर का अनुमोदन प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाना है। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही आदेश निर्गत किया जाना चाहिए था। आरोपी पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रस्ताव उपस्थापित किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी को चाहिए था कि वे क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक का अनुमोदन प्राप्त करते, ऐसा नहीं किया गया है। आरोप आंशिक रुप से प्रमाणित होता है। आरोप संख्या-5 का संबंध आरोपी पदाधिकारी से नहीं होने के आधार पर आरोप प्रमाणित नहीं होने का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। आरोप संख्या-6 के आरोप को आंशिक रुप से प्रमाणित होने का संचालन पदाधिकारी का मंतव्य प्राप्त हुआ है।

4. उक्त प्रमाणित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक 218433 दिनांक 19.03.2025 द्वारा श्री शिव कुमार शर्मा से लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी।

5. श्री शिव कुमार शर्मा द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन समर्पित कर कतिपय आरोपों का खंडन किया गया है परंतु आरोप संख्या–3 के संबंध में कोई लिखित निवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी समीक्षा में यह ज्ञात होता है कि माह जून से इतर माह में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के बिना शिक्षकों का स्थानांतरण करने का आरोप प्रत्यक्षतः इनके विरूद्ध प्रमाणित पाया गया है। इस संबंध में आरोपी सरकारी सेवक के लिखित अभ्यावेदन में वर्णित बिंदु इस रूप में ग्रहणीय नहीं हो सकती है कि यदि किसी बाध्यकारी स्थिति में स्थानांतरण करना पड़ा तो इस पर उन बाध्यकारी स्थितियों को दर्शित करते हुए सक्षम प्राधिकार से घटनोत्तर अनुमोदन करने की कार्रवाई की जा सकती थी, जो इनके द्वारा नहीं किया गया है। बिना नियोजन एवं बिना योगदान के शिक्षकों का भुगतान किए जाने के मामले में आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज है जिसमें यद्यपि श्री शिव कुमार शर्मा संप्रति जमानत पर हैं परंतु इनके विरूद्ध अनियमितता/संलिप्तता के कुछ तथ्य पाए जाने पर ही प्राथमिकी दर्ज हुई होगी। संचालन पदाधिकारी के द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 की कंडिका 3.1 (i) (ii) (iii) के उल्लंघन का आरोप भी आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया है। इस प्रकार आरोपी सरकारी सेवक का लिखित अभ्यावेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

7. श्री शिव कुमार शर्मा के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (ख) के अंतर्गत " पेंशन से 05 वर्षों के लिए 05 प्रतिशत की राशि की कटौती " की शास्ति अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गई।

8. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–4901 दिनांक 09.03.2026 द्वारा श्री शिव कुमार शर्मा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, जमुई, सम्प्रति–सेवानिवृत के विरुद्ध उपर्युक्त विनिश्चित शास्ति पर सहमति प्रदान की गई है।

9. अतः उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री शिव कुमार शर्मा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, जमुई, सम्प्रति–सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है–

" पेंशन से 05 वर्षों के लिए 05 प्रतिशत की राशि की कटौती "।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

ह./–
(मनोरंजन कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांकः–03/ आ01–92/2023 I/379279/ पटना, दिनांकः–13.03.2026

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/ महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/ राज्य

परियोजना निदेशक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य टेक्सट बुक कॉरपोरेशन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विशेष निदेशक (मा0शि0)/सभी उप निदेशक/सभी संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, एवं श्री शिव कुमार शर्मा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, जमुई, सम्प्रति–सेवानिवृत पता– ग्राम/मो0–वीरपुर, डाकघर–वीरपुर, थाना–वीरपुर, जिला–बेगुसराय, पिन कोड–851127 मोबाइल – 9955988540 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
निदेशक (प्रशासन)
Date: 13-03-2026 13:20:31